

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक-एफ 5(प)(37)एसीटीएडी/माडा/बजट/SCA/भीलवाडा/2019-20/

दिनांक- 13/7/2020
17387-96

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा)
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.),
भीलवाडा।

विषय- सी. सी. सम्पर्क सडक एवं पुलिया निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विकास अधिकारी, पं.स., रायपुर के पत्रांक 1529-35 दिनांक 04.06.2020 एवं विकास अधिकारी, पं.स., सहाडा के पत्रांक 240 दिनांक 04.06.2020 से प्राप्त प्रस्तावों मय तकनीकी स्वीकृति के क्रम में निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या 2 में वर्णित कार्यों हेतु कॉलम सं. 7 में अंकित राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा जारी की जाती है-

कार्यकारी एजेन्सी- ग्राम पंचायत

(राशि लाख रु. में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	ग्राम व ग्रा.पं.	पंचायत समिति	तकनीकी स्वीकृति		राशि
				क्रमांक	दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7
1.	सी.सी. सम्पर्क सडक निर्माण, भीलबस्ती स्कूल तक भीलों का खेडा, थोरियाखेडा	भीटा	रायपुर	15	03.06.2020	6.00
2.	सी.सी. सम्पर्क सडक निर्माण, भीलबस्ती से मेन रोड तक, भटेवर	भीटा	रायपुर	16	03.06.2020	8.00
3	सी.सी. रोड मय नाली निर्माण कार्य, बद्रीलाल भील के मकान से भील बस्ती आंगनबाडी तक, उल्लाई	उल्लाई	सहाडा	49	04.06.2020	8.00
4	पुलिया निर्माण कार्य, मेन रोड से भीलों का खेडा रास्ते के नाले पर, थोरियाखेडा	भीटा	रायपुर	17	03.06.2020	8.00
	कुल					30.00

उपरोक्त निर्माण कार्य पर राशि का व्यय विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या- 56 वर्ष 2019-20 में प्राप्त राशि रूपये 100.00 लाख में से होगा। यह राशि आयुक्तालय के पी.डी. खाते में उपलब्ध है।

उपरोक्त निर्माण कार्यों हेतु निम्न निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावे-

- यदि उपरोक्त स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब सूचित किया जावे। दोहरे व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
- कार्यकारी एजेन्सी एवं तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तों के अनुसार कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
- निर्विवाद सार्वजनिक भूमि पर ही कार्य कराया जावे।
- राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावे।
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं संशोधन नियम, 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।

कृपया-2

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

6. परियोजना अधिकारी इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 20728-80 दिनांक 23.05.2019 द्वारा निर्देशानुसार जिन कार्य की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत नियुक्त की गई उन कार्यों की राशि सीधे ही ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित नही कर संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति को नियमानुसार हस्तान्तरित करेंगे।
7. ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार कार्यों का सम्पादन किया जावेगा एवं नियमानुसार उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर शेष राशि उपलब्ध करायेंगे।

भवदीय,

11
(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय) IAS
आयुक्त

क्रमांक-एफ 5(प)(37)एसीटीएडी/माडा/बजट/SCA/भीलवाडा/2019-20/
प्रतिलिपि-

दिनांक- 13/7/2020
17387-96

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सहायक, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, भीलवाडा।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति रायपुर/सहाडा, जिला भीलवाडा।
7. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
8. कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
9. अभियांत्रिकी शाखा, कार्यालय हाजा।
10. गार्ड फाईल।

10
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)